



-प्रेस नोट-

दिनांक - 06.08.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा धोखाधड़ी कर कूटरचित दस्तावेज तैयार करने वाले 01

वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 07.02.2025 को वादी श्री प्रशान्त उपाध्याय पुत्र श्री सी0जी0 उपाध्याय निवासी ग्राम व पत्रा0 रसिन चित्रकूट उ0प्र0 हाल पता जेलर जिला कारागार जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर पर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा Hon'ble National Special Court (Division Bench Rashtrapati Bhawan) Head of Department His Excellency President Mahodika. Rashtrapati Bhavan New Delhi-110004 (presidentofindia@rb.nic.in) (Subordinate Bench) का कूटरचित कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर जिला कारागार सहारनपुर में निरुद्ध बन्दी अजय कुमार पुत्र रामपाल निवासी झरौली बहलोलपुर थाना-सरसावा जनपद सहारनपुर को समय पूर्व रिहाई किये जाने के सम्बन्ध में आदेश जिला कारागार सहारनपुर एवं अन्य संस्थानों को प्रेषित करने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 39/25 धारा 318(4)/337/336(3)/340(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में धोखाधड़ी करने वाले, वाहन चोरी/नकबजनी/लूट आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम, गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 05.08.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रभावी कार्यवाही करते हुए उपरोक्त मुकदमे में वांछित/प्रकाश में आये **अभियुक्त शमशाद उर्फ भूरा पुत्र पीरू निवासी जनता रोड ग्राम चकहरेटी थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर हाल पता केयर ऑफ संजय करसानिया कृष्णा धाम कालोनी ब्लॉक के सामने थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर** को ग्राम चौली शाहुबुद्धीनपुर थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड) से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शमशाद उर्फ भूरा पुत्र पीरू निवासी जनता रोड ग्राम चकहरेटी थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर हाल पता केयर ऑफ संजय करसानिया कृष्णा धाम कालोनी ब्लॉक के सामने थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त शमशाद उर्फ भूरा का अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 302/20 धारा 420 भादवि थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 442/21 धारा 379/411 भादवि थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 443/21 धारा 414/420/465/1467/468/471 भादवि थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 444/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 84/23 धारा 420/467/468/471 भादवि 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 89/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 107/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 श्री विजय सिंह थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर ।
2. कां0 2343 संदीप कुमार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक - 06.08.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा 02 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 7.70 ग्राम स्मैक व 02 मोबाईल फोन बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व इसके कारोबार में सम्मिलित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाया जा रहा है अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.08.2025 को थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग/गश्त के दौरान 02 नशा तस्कर/अभियुक्त 1. छम्मन पुत्र नाजिब उर्फ कल्लू निवासी ग्राम मौहउद्दीनपुर थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर 2. राशिद पुत्र फैय्याज निवासी ग्राम कैलाशपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर को ग्राम मोहउद्दीनपुर के जंगल से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त छम्मन से 4.70 ग्राम स्मैक व 01 मोबाईल फोन रेडमी तथा अभियुक्त राशिद से 03 ग्राम स्मैक व 01 मोबाईल कीपैड नोकिया बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना जनकपुरी पर मु0अ0स0 182/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. छम्मन पुत्र नाजिब उर्फ कल्लू निवासी ग्राम मौहउद्दीनपुर थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर,
2. राशिद पुत्र फैय्याज निवासी ग्राम कैलाशपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण -

- 4.70 ग्राम स्मैक व 01 मोबाईल फोन रेडमी अभियुक्त छम्मन से बरामद
- 03 ग्राम स्मैक व 01 मोबाईल फोन नोकिया अभियुक्त राशिद से बरामद

गिरफ्तार अभियुक्त छम्मन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 287/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 35/22 धारा 60 आब0अधि0 थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 279/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 279/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री अजय कसाना थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
2. है0का0 610 विपिन थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
3. कां0 1675 गगन थाना जनकपुरी, सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक - 06.08.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 अवैध चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वाहन चोरी/नकबजनी/लूट आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वाछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 06.08.2025 को थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा गश्त/चैकिंग के दौरान ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे खाली पडी दुकान के पास दो अभियुक्त 1- सावेज पुत्र अब्दुल वहीद निवासी कैलाशपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर 2. शाबान पुत्र फैजान निवासी कैलाशपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से 01-01 अवैध चाकू बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना जनकपुरी पर मु0अ0स0 181/25 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण को समय से माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. सावेज पुत्र अब्दुल वहीद निवासी कैलाशपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
2. शाबान पुत्र फैजान निवासी कैलाशपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

02 अवैध चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 श्री विवेक वैद्यवान, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
2. है0कां0 731 पोपिन थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
3. है0कां0 574 अश्वनी थाना जनकपुरी, सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 06/08/2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद, पुलिस द्वारा नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 04/08/2025 को मुकदमा वादी ने थाने पर आकर लिखित सूचना दी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की नाबालिग बहन उम्र 15 वर्ष को बहला फुसलाकर ले गया है वादी की तहरीर के आधार पर थाना पर मु0अ0सं0- 547/25 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर ने उपरोक्त मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल अभियुक्त की गिरफ्तारी व पीडिता की बरामदमी हेतु निर्देश दिये, इस क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में व श्रीमान प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र कुमार शर्मा के निर्देशन में थाना देवबन्द पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग की पीडिता को दिनांक 05/08/2025 को सकुशल बरामद किया गया एवं अभियुक्त **गौरव पुत्र सोनू निवासी ग्राम अजीतपुर थाना कनखल जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड** को मुखबिर की सूचना पर ग्राम अजीतपुर थाना कनखल जनपद हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया। तथा विवेचना से मुकदमा उपरोक्त में धारा 65(1) बीएनएस व 4(2) पोक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी। वैधानिक कार्यवाही कर अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

➤ गौरव पुत्र सोनू निवासी ग्राम अजीतपुर थाना कनखल जनपद हरिद्वार, उत्तराखण्ड

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 सुभाष शर्मा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
2. का0 478 पंकज सैनी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 06.08.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा फायरिंग कर दहशत फैलाने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध एक

नाली बन्दूक 12 बोर बरामद-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 06.08.2025 को थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा गस्त व चौकिया के दौरान फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले 01 अभियुक्त तासीन पुत्र आल्लादिया निवासी ग्राम अम्बेहटा शेखा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर को ग्राम अम्बेहटा शेखा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध एक नाली बन्दूक 12 बोर बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना देवबन्द पर मु0अ0स0 553/25 धारा 125 बी.एन.एस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

तासीन पुत्र आल्लादिया निवासी ग्राम अम्बेहटा शेखा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

01 अवैध एक नाली बन्दूक 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1- उ0नि0 रणवीर सिंह थाना देवबन्द, सहारनपुर

2- है0का0 344 विकास चौधरी थाना देवबन्द, सहारनपुर

3- का0 2171 नीरेश कुमार थाना देवबन्द, सहारनपुर



दिनांक -06.08.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा पशु चोरी के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 2600/- रुपये बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 25.07.2025 को थाना सरसावा पर वादी महावीर सिंह पुत्र पहल सिंह निवासी ग्राम माजरी कला थाना सरसावा जिला सहारनपुर द्वारा एक किता लिखित तहरीर बाबत अपनी 01 भैंस को अभियुक्त इदरीश पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम तेलीपुरा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर द्वारा चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0स0 290/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी सरसावा श्री विनोद कुमार के कुशल निर्देशन में थाना सरसावा पुलिस आज दिनांक 06.08.2025 को अभियुक्त **इदरीश पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम तेलीपुरा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** को ग्राम कुण्डा कल्याणपुर तिराहा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की गयी भैंस को बेचकर मिले रुपयो मे से शेष 2600 रुपये बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि मैं नशा करने का आदि है। अपने नशे की जरूरतो को पूरा करने के लिए चोरी करता हू। मैंने दिनांक 25.07.25 को ग्राम माजरी कला से एक भैंस चोरी की थी जिसको मैंने बेच दिया था भैंस को मिले रुपयो मे से 2600 रुपये जो शेष बचे थे शेष रुपये मैंने अपनी नशे की जरूरतो को पूरा करने मे खर्च कर दिये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

इदरीश पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम तेलीपुरा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

बरामदगी वा विवरण

➤ 2600 रुपये नगद बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 श्री महेश सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. है0का0 1144 आकाश कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. का0 2377 ब्रिजेश कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक- 06.08.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 22 ग्राम अवैध स्मैक व 01 मोटर साईकिल बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करो करने वाले अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसेन सैनी के कुशल नेतृत्व में थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा दिनांक 05.08.2025 को मुमताज कॉलोनी से पहले खाली पड़े प्लॉट के पास सुनसान रास्ता कस्बा सुल्तानपुर से 01 शातिर नशा तस्कर **फरमान उर्फ फानू पुत्र इरफान उर्फ पीरू केयर ऑफ फजलू निवासी मौहल्ला मजहर हसन थाना चिलकाना जिला सहारनपुर** को 22 ग्राम अवैध स्मैक व 01 मोटरसाईकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0स0 185/25 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

बरामदगी का विवरण –

- 22 ग्राम अवैध स्मैक
- 01 साईकिल होण्डा साईन UP 11 AM 9912

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

फरमान उर्फ फानू पुत्र इरफान उर्फ पीरू केयर ऑफ फजलू निवासी मौ0 मजहर हसन थाना चिलकाना जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1. उ0नि0 श्याम सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 अंकित कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 259 तेजेन्द्र कुमार था चिलकाना जनपद सहारनपुर।
3. का0 2548 विष्णु कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 06-08-2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 22 ग्राम अवैध स्मैक बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशील पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक पीयूष दीक्षित थाना गंगोह जनपद सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस द्वारा आज दिनांक 06/08/2025 को पुलिस गस्त के दौरान अभियुक्तगण 01. अकरम पुत्र साजिद निवासी मौहल्ला गुज्जरवाड़ा थाना गंगोह सहारनपुर 02. शोएब पुत्र महफूज निवासी मौहल्ला कुरैशियान कस्बा व थाना गंगोह सहारनपुर को ग्राम खैरपुर खानपुर रोड पर आम के बाग के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अकरम के कब्जे से कुल 12 ग्राम नाजायज स्मैक तथा अभियुक्त शोएब के कब्जे से 10 ग्राम नाजायज स्मैक बरामद हुई। बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर थाना गंगोह पर थाना गंगोह पर मु0अ0स0-299/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

बरामदगी का विवरण-

- 12 ग्राम नाजायज स्मैक (अभियुक्त अकरम से बरामद)
- 10 ग्राम नाजायज स्मैक (अभियुक्त शोएब से बरामद)

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

01. अकरम पुत्र साजिद निवासी मौहल्ला गुज्जरवाड़ा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
02. शोएब पुत्र महफूज निवासी मौहल्ला कुरैशियान कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

अभियुक्त अकरम उपरोक्त आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0-512/16 धारा 138बी विद्युत अधिनियम थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0-396/17 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0-350/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0-365/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0-37/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0सं0-369/21 धारा 8/29 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0सं0-543/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
8. मु0अ0सं0-299/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

अभियुक्त शोएब उपरोक्त आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0-754/17 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0-557/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0-90/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0- 299/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री अतुल कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. है0कां0 258 अजीत मलिक थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. है0कां0 362 अमित कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. कां0 326 रिंकू थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
5. कां0 126 सविन थाना गंगोह जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 06.08.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना बेहट पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में वांछित वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तार हेतु निरन्तर अभियान चलाया जा रहा है अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आ दिनांक 06.08.2025 को थाना बेहट पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय से जारी गैर जमानतीय आदेशिकाओं के पालन में वारण्टी 1- युसुफ पुत्र फुल्लु निवासी पठलोकर तहसील व थाना बेहट जनपद सहारनपुर सम्बन्धित वाद सं0 134/15 बनाम सरकार बनाम .युसुफ आदि अधी0 138 विद्युत अधी0 02. मोबीन पुत्र महबूब नि0 ग्राम शेखपुरा तहसील व थाना बेहट जनपद सहारनपुर सम्बन्धित वाद सं0 1359/2022 राज्य बनाम मोबीन धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट को इनके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारण्टियों का नाम व पता-

1. युसुफ पुत्र फुल्लु निवासी पठलोकर तहसील व थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. मोबीन पुत्र महबूब नि0 ग्राम शेखपुरा तहसील व थाना बेहट जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री करन नागर थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3. है0का0 507 गौरव राणा थाना बेहट जनपद सहारनपुर
4. का0 94 सन्दीप कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 06.08.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी/जिला बदर अभियुक्त को किया गया
गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/जिलाबदर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.08.2025 को 01 नफर वारण्टी/जिला बदर अभियुक्त **विनय उर्फ मोंगली पुत्र राजकुमार नि0मौ0 हीरनमारान थाना कोतवाली नगर सहारनपुर** सम्बन्धित माननीय न्यायालय अपर जिलाधिकारी प्रशासन सहारनपुर के वाद सं0- कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या D202409600002149 में दिनांक 19.03.25 को जिला बदर व एनबीडब्लू वाद सं0 25/16 केस न0 12/16 धारा 2/3 गैंगस्टर नियत दिनांक 07/08/2025 मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज ((गैंगस्टर एक्ट) कक्ष सं0 05 सहारनपुर को मौ0 हीरनमारान से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहे हैं ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

विनय उर्फ मोंगली पुत्र राजकुमार नि0मौ0 हीरनमारान थाना कोतवाली नगर सहारनपुर ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 231/18 धारा 41 भादवि थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर ।
2. मु0अ0सं0 230/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर ।
3. मु0अ0सं0 229/18 धारा 307 भादवि थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर ।
4. मु0अ0सं0 138/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर ।
5. मु0अ0सं0 136/23 धारा 379,411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर ।
6. मु0अ0सं0 375/15 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर ।
7. मु0अ0सं0 336/15 धारा 379,44 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर ।
8. मु0अ0सं0 368/15 धारा 147,148,149,307,399,402 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 विवेक कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर ।
2. हमराह है0का0 505 प्रमोद कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर ।
3. है0का0 380 आजाद थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर ।
4. का0 1468 धर्मेन्द्र राणा थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक:06.08.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था भंग कर रहे 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण एव आपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना बडगाँव पुलिस द्वारा आज दिनांक 06.08.2025 को अलग अलग दो विवादों में अभियुक्तगण 1- बिलाल पुत्र शहजाद निवासी ग्राम अम्बेहटा मोहन थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर 2- तमजीद पुत्र शहजाद निवासी ग्राम अम्बेहटा मोहन थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर 3- साकिर पुत्र साजिद निवासी ग्राम अम्बेहटा मोहन थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर 4- शुऐब पुत्र जब्बार निवासी ग्राम अम्बेहटा मोहन थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर को शांति व्यवस्था भंग करते हुए अन्तर्गत धारा 170 बीएनएसएस गिरफ्तार किया गया। काफी समझाने का प्रयास किया गया परन्तु नहीं माने। शांति व्यवस्था के दृष्टिगत अभियुक्तगण का चालान अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता:-

1. बिलाल पुत्र शहजाद निवासी ग्राम अम्बेहटा मोहन थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।
2. तमजीद पुत्र शहजाद निवासी ग्राम अम्बेहटा मोहन थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।
3. साकिर पुत्र साजिद निवासी ग्राम अम्बेहटा मोहन थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।
4. शुऐब पुत्र जब्बार निवासी ग्राम अम्बेहटा मोहन थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. श्री विनय शर्मा थानाध्यक्ष थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री ब्रह्मगिरी थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।
3. कां0 1569 अमरदीप थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।
4. हो0गा0 2086 जोगपाल थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक- 06.08.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

**थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार,
कब्जे से 135 ग्राम अवैध चरस बरामद**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व इसमें लिप्त अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.08.25 को थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त **वसीम पुत्र जब्बार नि0 ग्राम फतेहपुर भादो थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर** को वीर विजय कालेज के पास आम के बाग से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त रिहान उपरोक्त के कब्जे से 135 ग्राम अवैध चरस बरामद हुयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 178/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम वसीम उपरोक्त पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय समक्ष के पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

➤ वसीम पुत्र जब्बार नि0 ग्राम फतेहपुर भादो थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

➤ 135 ग्राम अवैध चरस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण–

1. थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सौरभ यादव थाना फतेहपुर सहारनपुर
3. हैड का0 24 सुनील कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर
4. हैड का0 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
5. का0 1551 अमित कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 06.08.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट, सहारनपुर पुलिस द्वारा **01 वारण्टी अभियुक्त** को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन वारण्टी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपद सहारनपुर में अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.08.2025 को थाना बेहट पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय से जारी गैर जमानती वारण्ट तामीला के क्रम में मंसूर पुत्र कालू तेली निवासी ग्राम माटकी थाना बेहट जनपद सहारनपुर सम्बन्धित वाद संख्या 1859/10 धारा-379/411 भादवि बनाम को इसके घर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारण्टी का नाम व पता

मंसूर पुत्र कालू तेली निवासी ग्राम माटकी थाना बेहट जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री मनीष कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. का0 1767 पिकरपाल थाना बेहट जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 06-08-2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नागल पुलिस द्वारा अभियान "आपरेशन क्लीन, तहत जुआ अधिनियम से संबंधित 119 मुकदमाती माल का नियमानुसार निस्तारण किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में थाना पर लम्बित मालो के निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान "आपरेशन क्लीन"; के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द रमाकान्त पराशर के निकट पर्यवेक्षण में माननीय न्यायालय जे0एम0 देवबन्द के आदेश के अनुपालन में श्रीमान उपजिलाधिकारी देवबन्द श्री युवराज सिंह, सहायक अभियोजन अधिकारी देवबन्द जिला सहारनपुर व प्रभारी निरीक्षक रमेशचन्द्र सिंह व हैड मोहरीर 1027 योगेन्द्र सिंह की मौजूदगी में थाना नागल पुलिस द्वारा आज दिनांक 6.8.2025 को वर्ष 2010 से लेकर 2023/2024 तक के जुआ अधिनियम से सम्बन्धित 119 मुकदमाती जुआ अधिनियम के मालो का निस्तारण किया गया तथा पर्चा सट्टा, गत्ता व ताश के पत्ते आदि को नियमानुसार विनिष्ट किया गया तथा उपरोक्त से संबंधित धनराशि मुबलिक 116360/-रुपये को राजस्व के रूप में अकब से जमा कराये जायेगे।

विनिष्टीकरण के समय उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी गण

1. श्रीमान श्री युवराज सिंह उपजिलाधिकारी देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. क्षेत्राधिकारी श्री रमाकान्त पराशर देवबन्द जनपद सहारनपुर
3. अभियोजन अधिकारी श्री मनोज यादव मा0न्या देवबन्द जिला सहारनपुर
4. प्रभारी निरीक्षक रमेशचन्द्र सिंह थाना नागल जनपद सहारनपुर
5. हैड मोहरीर 1027 योगेन्द्र सिंह थाना नागल जनपद सहारनपुर